न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 132/2020(2020/00275)

प्रेमचंद्र पुत्र मिश्रीलाल जैन जाति महाजन निवासी नेहरू धर्मशाला के पास केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—

1. **सूर्यकान्त दाधीच वकील— प्रार्थी**
2. **तहसीलदार केकड़ी —पैरोकार सरकार**

आदेश

दिनांक 12.02.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम नायकी तहसील केकड़ी जिला अजमेर मे निम्नवर्णित आराजीयात स्थित हैः—

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
195—178	1630/427	0.3700	बारानी 1
	428	0.8900	बारानी 1
	429	1.8100	बारानी 1
	किता 3	3.07.00	

इस आराजी मे आने जाने हेतु निम्नलिखित भूमि मे से होकर जाना पड़ता है जो सिवायचक भूमि है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1—1	430	0.03	बारानी 1
	431	0.19	बारानी 1
	432	0.12	बारानी 1
	433	0.14	बारानी 1
	किता 4		0.48

उक्त वर्णित भूमि के जानिब पूर्वी और [illegible] पूर्व से पश्चिम की ओर होता हुआ प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नंबर [illegible]/427,428,429 मे जाता है उक्त रास्ता कदीमी है तथा लगभग 30 फीट चौड़ा है तथा [illegible] रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की आराजी मे जाने का कोई रास्ता नहीं है [illegible] मौके पर अवस्थित है। उक्त कदीमी रास्ते से प्रार्थी एवं [illegible] खेतो वाले भी इसी रास्ते से आते जाते है। अतः उक्त विद्यमान मार्ग को राजस्व रेकार्ड मे **रास्ता के रूप मे अभिलिखित किया जाये**

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया तथा मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी। तहसीलदार केकड़ी— अप्रार्थी ने अपनी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला—अजमेर)

लगातार पेज-2

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:14:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 132/2020(2020/00275)

प्रेमचंद्र **बनाम** राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क

आदेश दिनांक 12.02.21

मौका पर्चा रिपोर्ट पत्र कमांक/भू.अ./2020/428 दिनांक 14.01.21 से प्रस्तुत की है। प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी पर स्वीकृत रास्ता खसरा नंबर 491 मे है। खसरा नंबर 431 मे से 160 वर्गमीटर एवं खसरा नंबर 432 एवं 430 मे से कमशः 80 वर्गमीटर ,80वर्गमीटर कुल 320 वर्गमीटर भूमि आवेदत मार्ग सिवायचक भूमि मे प्रस्तावत किया गया है। वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि 10 मीटर चौड़ाई का लंबवत रास्ता दिलाया जावे। प्रतिकर की राशि नियमानुसार जमा कराने हेतु तत्पर व तैयार है।

मैने वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व मौका पर्चा रिपोर्ट तहसीलदार केकड़ी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतः ग्राम नायकी के खसरा नंबर 430,431,432 मे से 7मीटर चौड़ाई का रास्तां जो प्रार्थी के खेत तक जाता है, की लम्बाई तक राजस्व रेकार्ड मे गैर मुमकिन रास्ते का रूप मे तहसीलदार केकड़ी दर्ज करे तथा नियमानुसार प्रतिकर की राशि राजकोष प्रार्थी से गणना कर जमा करायी जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला–अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला–अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:14:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner